न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 38 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
गिसराराम पुत्र सवाराम का.मु.	**बनाम**	1.हरीयों पुत्री नवा
1. ईशराराम पुत्र गिसराराम		2.वरधा पुत्र चैनाराम जाति
2. बाबूराम पुत्र गिसराराम		मेघवाल निवासी डेडावास जांगीर
3. भंवराराम पुत्र गिसराराम		तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. पारसराम पुत्र गिसराराम जाति मेघवाल निवासी डेडावास जांगीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		3.तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2015 बअनवान गिसराराम बनाम हरीयों वगै. में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—11.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 19.11 बीघा भूमि वादी के सगे छोटे भाई हिमता वल्द सवा ने जरिये पंजीबद्ध रजिस्ट्री के 100/— रूपये नकद अदा कर प्रतिवादी संख्या 01 की माता पारवती बेवा नवा जाति मेघवाल से दिनांक 06.04.1966 को खरीद की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की माता पारवती ने वादी के भाई हिमता के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 10.05.1966 को उपपंजीयक बाड़मेर में पंजीबद्ध करवाया गया। वादी के भाई हिमता को मौके पर भौतिक रूप से काबिज कर दिया तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण पारित करने हेतु बेचान पत्र की एक प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को दी गई थी जिस पर हल्का पटवारी ने बेचान के अनुसार नामान्तरकरण पारित करने का आश्वासन दिया था। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र की टकणीय भूल की जानकारी होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादी के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 422 में दखलअन्दाजी प्रारम्भ कर वादी को कब्जा हटाने का कहा गया जिस पर वादी ने कब्जा हटाने से मना किया तथा वादी ने कहा कि यह भूमि मेरे भाई हिमता ने आपकी माता पारवती से वर्ष 1966 में खरीद की गई तब से इस भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि यह भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम से दर्ज है, जिस पर वादी को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो वादी को जानकारी हुई कि विक्रय पत्र के निष्पादन के समय टंकणीय भूल से खसरा नम्बर 422 के स्थान पर 216 अंकित हो गई है जबकि तत्समय डेडावास जांगीर में प्रतिवादी संख्या 01 की माता पारवती के नाम से खसरा नम्बर 216 अंकित ही नहीं था तथा प्रतिवादी संख्या 01 की माता के नाम से खसरा नम्बर 422 ही अंकित था तथा प्रतिवादी संख्या 01 की माता ने वादी के भाई को खसरा नम्बर 422 का ही बेचान किया था तथा पारवती ने मौके पर भी हिमता पुत्र सवा को अपने पैतृक खसरा नम्बर 426 के सेढासेढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 422 पर ही काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया था। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 19.11 बीघा भूमि वादी के सगे छोटे भाई हिमता वल्द सवा ने जरिये पंजीबद्ध रजिस्ट्री के 100/– रूपये नकद अदा कर प्रतिवादी संख्या 01 की माता पारवती बेवा नवा जाति मेघवाल से दिनांक 06.04.1966 को खरीद की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की माता पारवती ने वादी के भाई हिमता के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 10.05.1966 को उपपंजीयक बाड़मेर में पंजीबद्ध करवाया गया। विक्रय पत्र के निष्पादन के समय टंकणीय भूल से खसरा नम्बर 422 के स्थान पर 216 अंकित हो गई है जबकि तत्समय डेडावास जांगीर में प्रतिवादी संख्या 01 की माता पारवती के नाम से खसरा नम्बर 216 अंकित ही नहीं था तथा प्रतिवादी संख्या 01 की माता के नाम से खसरा नम्बर 422 ही अंकित था तथा प्रतिवादी संख्या 01 की माता ने वादी के भाई को खसरा नम्बर 422 का ही बेचान किया था तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारवती ने मौके पर भी हिमता पुत्र सवा को अपने पैतृक खसरा नम्बर 426 के सेढासेढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 422 पर ही काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद क्षेत्राधिकार के बिंदु पर खारिज किया गया। न्यायालय की अधिकारिता के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 15 में विवरण दिया गया है, धारा 206 के तहत राजस्व न्यायालय ही विचारणीय वाद एवं प्रार्थना–पत्र तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद तथा प्रार्थना–पत्र की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जायेगा, यह स्पष्ट विधि है। अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची 3 के क्रम संख्या 3, 4 व 23 गा के तहत आते है ऐसे में अपीलांट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो पूर्ण रूप से न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं मानने में विधि की स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। उतरदातागण को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में जबावदावा पेश वक्त उपरोक्त आपत्ति उठाई जा सकती थी तथा जबावदावे के बाद नियमानुसार तनकीयात कायम किया जाकर इसका न्यायिक निपटारा गुणावगुण के आधार पर ही किया जाना ही न्यायोचित एवं प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का बिना गुणावगुण पर विचार किये आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का आवेदन स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध है जिससे निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आराजी को प्रतिवादी संख्या 01 की माता पार्वती पत्नी नवा जाति मेघवाल द्वारा ग्राम डेडावास जागीर पटवार क्षेत्र रतनपुरा के खसरा नम्बर 216 रकबा 19.17 बीघा भूमि रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 06.04.1966 के मार्फत क्रय करना बताया गया है। उक्त बेचान में खसरा नम्बर 422 रकबा 19.11 बीघा के स्थान पर भूल एवं टंकण गलती से खसरा नम्बर 216 रकबा 19.17 बीघा अंकित कर दिया गया है। उक्त बेचान को संशोधित करते हुए उपरोक्त खसरे की भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के अभिकथनों से यह वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 26 के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिखित कब परिशोधित की जा सकेगी (When instrument may be rectifird) के अन्तर्गत वाद अपने की वजह से ऐसा वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील को गय खर्चा खारिज की जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 धारा 26

RRT 2020(1) Page 258

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ता की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा डेडावास जागीर पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 422 रकबा 19.11 बीघा की भूमि वादी के सगे छोटे भाई हिमता वल्द सवा द्वारा जरिये पंजीबद्ध रजिस्ट्री के प्रतिवादी संख्या 01 की माता पारवती बेवा नवा से दिनांक 06.04.1966 को क्रय की थी। उक्त भूमि के विक्रय पत्र के निष्पादन के समय टंकणीय भूल से खसरा नम्बर 422 के स्थान पर 216 अंकित हो गया जबकि तत्समय डेडावास जागीर में प्रतिवादी संख्या 01 की माता पारवती के नाम से खसरा नम्बर 216 अंकित ही नहीं था। अपीलाधीन आराजी के संबंध में अपीलांट/वादी द्वारा अपने मूल वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 10.05.1966 के जरिये पारवती पत्नी नवा मेगवाल द्वारा मौजा डेडावास के खेत खसरा संख्या 216 रकबा 19.17 बीघा भूमि का बेचान हिमता वल्द सवा मेगवाल साकिन डेडावास को किया गया। उपरोक्त रजिस्टर्ड बेचान पंजीबद्ध दस्तावेज निष्पादित किया गया। राजस्व न्यायालय को राजस्व कार्मिक द्वारा अभिलेख का संधारण करने में की गई भूल को सुधारने का ही अधिकार प्राप्त है। रजिस्टर्ड बेचान में की गई भूल को सुधारने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के अनुसार अपीलांट/वादी का रजिस्टर्ड बेचान को सिविल न्यायालय से संशोधित परिशोधित कराये बिना राजस्व न्यायालय में वाद लाने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट/वादी अपने हितों की सुरक्षा के लिए सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हबहू चस्पा होते है। RRT 2020(1) Page 258 (लिखावट को परिशोधित करने के बारे में विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 26 के अंतर्गत तथा शश्वत व्यादेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही कर चाराजोही की जाती है। किन्तु इस हेतु राजस्व न्यायालय किसी पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित भिन्न नम्बर क्रेता का होना तथा अंकित नम्बर किसी अन्य का होने की घोषणा करने, परिशोधन करने, शाश्वत व्यादेश शून्य घोषित करने हेतु सक्षम नहीं है अपितु सिविल न्यायालय सक्षम है) लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2015 बअनवान मिसराराम बनाम हरीयों वगै. में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
सहायक अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर